रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1217] नई दिल्ली, सोमवार, जून 27, 2011/आषाढ़ 6, 1933
No. 1217] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 27, 2011/ASADHA 6, 1933

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2011

बच्चों के दत्तक ग्रहण के अभिशासी मार्गदर्शी सिद्धांत, 2011

का.आ. 1460(अ).—किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) की धारा 41 की उप-धारा (3) के अनुसरण द्वारा प्रदत्त अधिकारों और स्वदेशी दत्तक ग्रहण, 2004 के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों और भारत के दत्तक ग्रहण, 2006 के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधिक्रमण में, सिवाए उक्त अधिक्रमण के पहले की गई या छोड़ी गई बातों को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा अनाथ, बेसहारा या अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण का विनियमन प्रदान करने हेतु केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (कारा) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों को अधिसूचित किया जाता है।

टिप्पणी–

(1) दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा समय-समय पर दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के विभिन्न पणधारकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विधियों और प्रक्रमों को बनाने के लिए दत्तक ग्रहण मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं। दत्तक ग्रहण मार्गदर्शी सिद्धांतों को निम्नलिखित से समर्थन मिलता है :

(क) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 ;

(ख) 1982 की लिखित याचिका संख्या 1171 में एल. के. पाण्डेय बनाम भारतीय संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय ;

(ग) संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय ;

(घ) बच्चों के संरक्षण और अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, 1993 के संबंध में सहयोग पर हेग अभिसमय ।

(2) ये मार्गदर्शी सिद्धांत अधिसूचना की तिथि से देश में अनाथ, बेसहारा या अभ्यर्पित बच्चों के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया का अभिशासन करेंगे और (i) स्वदो दत्तक ग्रहण, 2004 के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, (ii) भारत से दत्तक ग्रहण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, 2006 का स्थान लेंगे।

अध्याय – 1
प्रारंभिक

1. **लघु शीर्षक और आरंभ** – (1) इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को बच्चों के दत्तक ग्रहण का अभिशासन करने वाले मार्गदर्शी सिद्धांत, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **परिभाषा** – (1) इन नियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता न हो –

(क) "अधिनियम" का अर्थ है किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) ;

(ख) "एसीए" का अर्थ है दत्तक ग्रहण समन्वयन अभिकरण ;

(ग) "बेसहारा" का अर्थ है अकेला और निराश्रित बच्चा जिसे उचित जांच पड़ताल के बाद बाल कल्याण समिति द्वारा बेसहारा घोषित किया गया है ;

(घ) "दत्तक ग्रहण" का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे को उसके जैविक माता – पितासे स्थायी रूप से अलग किया जाता है और वह उन सभी अधिकारों, लाभों और दायित्वों के साथ अपने दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिताका विधि सम्मत बच्चा बन जाता है जो उस संबंध के साथ जुड़े हुए हैं ;

(ङ) "एएफएए" या "अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण" का अर्थ है एक विदेशी सामाजिक या बाल कल्याण अभिकरण जिसे कारा द्वारा संभावित अनिवासी भारतीय या ओसीआई या पीआईओ या विदेशी दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिताके आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए एक भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु कारा द्वारा अधिकृत किया गया है ;

(च) "एआरसी" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा गठित दत्तक ग्रहण संस्तुति समिति ;

(छ) "बच्चे का सर्वोत्तम हित" का अर्थ है एक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु लिया गया निर्णय ;

(ज) "कारा" का अर्थ है केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण ;

(झ) "सीसीसी" का अर्थ है बाल देखभाल कॉर्पस

(ञ) "केन्द्रीय प्राधिकरण" का अर्थ है अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त सरकारी विभाग ;

(ट) "बाल कल्याण समिति" का अर्थ है धारा 29 के तहत गठित समिति ;

(ठ) "दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र बच्चे" का अर्थ है बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण हेतु मुक्त घोषित किए गए अनाथ, बेसहारा और छोड़े गए बच्चे ;

(ड) "सीएसआर" का अर्थ है बाल अध्ययन रिपोर्ट, जिसमें बच्चे के बारे में विवरण निहित होते हैं जैसे जन्म तिथि और सामाजिक पृष्ठभूमि ;

(ढ) "अभ्यस्त निवास" का अर्थ है रिहायशी स्थान जहां व्यक्ति साधारण रूप से पिछले कम से कम एक वर्ष से निवास करता है।

(ण) "एचएसआर" का अर्थ है गृह अध्ययन रिपोर्ट, जिसमें दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, घर का विवरण, रहने का स्तर, जीवन साथी, यदि कोई हों, और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संबंध, स्वास्थ्य की स्थिति, आदि निहित होते हैं।

(त) "आईसीपीएस" का अर्थ है भारत सरकार द्वारा महिला एवं विकास बाल मंत्रालय में आरंभ की गई समेकित बाल संरक्षण योजना ;

(थ) "स्वदेशी दत्तक ग्रहण" का अर्थ है भारत में रहने वाले भारत के एक नागरिक द्वारा एक बच्चे या बच्चों का दत्तक ग्रहण करना ;

(द) "अंतर–देशीय दत्तक ग्रहण" का अर्थ है अनिवासी भारतीयों या भारत के प्रवासी नागरिकों या भारतीय मूल के व्यक्ति या विदेशी नागरिकों का दर्जा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा एक बच्चे या बच्चों का दत्तक ग्रहण करना ;

(ध) "एनओसी" का अर्थ है कारा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र जिसमें बच्चे को संभावित विदेशी या भारतीय मूल का व्यक्ति या प्रवासी भारतीय नागरिक या अनिवासी भारतीय दत्तक ग्रहण माता – पिताके साथ दत्तक ग्रहण हेतु रखने की अनुमति दी गई हो ;

(न) "एनआरआई" का अर्थ है अनिवासी भारतीय नागरिक जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है और जो वर्तमान में विदेश में निवास करता है ;

(प) "ओसीआई" का अर्थ है नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क के तहत प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत एक व्यक्ति ;

(फ) "अनाथ" का अर्थ है एक ऐसा बच्चा जिसके माता – पिता या इच्छुक और कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक नहीं हैं ;

(ब) "पीआईओ" का अर्थ है भारतीय मूल का व्यक्ति

(भ) "पाइपलाइन मामले" का अर्थ है ऐसे मामले जहां दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा संबंधित आरआईपीए या एसएए की मान्यता समाप्त होने या इसे वापस लेने से पूर्व, रेफरल पहले से स्वीकृत किए गए हैं ;

(म) "दत्तक ग्रहण पूर्व पालक देखभाल" का अर्थ है एक ऐसा चरण जब बच्चे की अभिरक्षा दत्तक ग्रहण के विचार से संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता(दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता) को दी गई है ;

(य) "संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता" का अर्थ है अधिनियम के अनुसार बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु पात्र व्यक्ति ;

(कक) "मान्यताप्राप्त भारतीय नियोजन एजेंसी (आरआईपीए)" का अर्थ है अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में बच्चों को भेजने के लिए कारा द्वारा मान्यता प्राप्त एक विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण ;

(ग) "धारा" का अर्थ है अधिनियम की एक धारा ;

(प) "अनुसूची" का अर्थ है इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के साथ संलग्न एक अनुसूची ;

(यक) एक संघ राज्य के संबंध में "राज्य सरकार" का अर्थ है उस संघ राज्य का प्रशासक जिसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया गया है ;

(यख) "एसएए" का अर्थ है विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण जिसमें मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन अभिकरण (आरआईपीए) और लाइसेंस धारी दत्तक ग्रहण नियोजन अभिकरण (एलएपीए) शामिल हैं ;

(यग) "एसएआरए" का अर्थ है राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण ;

(यघ) "अभ्यर्पित बच्चे" का अर्थ है एक ऐसा बच्चा जो बाल कल्याण समिति के विचार से माता – पिता या संरक्षक के नियंत्रण से परे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के तौर पर त्यक्त है ; और

(2) वे सभी शब्द और अभिव्यक्तियां, जिन्हें उपयोग किया गया है, किन्तु इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में परिभाषित नहीं किया गया है उनका अर्थ अधिनियम में दिए गए अर्थ के समान होगा।

3. **दत्तक ग्रहण को अभिशासन करने वाले मौलिक सिद्धांत** – भारत से बच्चों के दत्तक ग्रहण का निम्नलिखित मौलिक सिद्धांत होंगे, जो हैं –

(क) बच्चे का सर्वोत्तम हित किसी भी नियोजन का निर्णय लेते समय प्रमुख महत्व का होगा ;

(ख) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ग) बच्चों का दत्तक ग्रहण एक निश्चित प्रक्रिया विधि और समयबद्ध रूप से होगा;

(घ) दत्तक ग्रहण के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का वित्तीय या अन्यथा लाभ प्राप्त नहीं करेगा

4. **दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम व्यक्ति** – किसी अनाथ, बेसहारा या अभ्यर्पित बच्चे को इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में बताई गई उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दत्तक ग्रहण किया जा सकता है, यदि इस बच्चे को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है।

5. **दत्तक ग्रहण करने में सक्षम व्यक्ति** – धारा 41 की उप धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा एक बच्चे को दत्तक ग्रहण में दिए जाने की अनुमति दी जा सकती है –

(क) एक व्यक्ति को चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो ; या

(ख) माता – पिताको उसी लिंग का बच्चा दत्तक ग्रहण करने के लिए चाहे उसके कितने ही जीवित जैविक पुत्र या पुत्रियां हैं ; या

(ग) एक निःसंतान दंपत्ति को।

6. **दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता(पी ए पी) के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदण्ड** –

(1) एक ऐसे दंपत्ति को बच्चे का दत्तक ग्रहण करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक स्थायी वैवाहिक संबंध के कम से कम 2 वर्ष पूरे न कर लिए हों।

(2) साथ रहने वाले (लिव इन) दंपत्तियों को बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता नहीं है।

(3) 0–3 वर्ष के आयु समूह में एक बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की अधिकतम सम्मिश्रित आयु 90 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें दत्तक

ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता में से प्रत्येक की आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो और 50 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(4) 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का दत्तक ग्रहण करने के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की अधिकतम सम्मिश्रित आयु 105 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता में से प्रत्येक की आयु 25 वर्ष से कम नहीं हो और 55 वर्ष से अधिक नहीं हो।

(5) यदि कोई एकल दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता दत्तक ग्रहण का इच्छुक है, तो उसकी आयु 30 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 0–3 वर्ष के आयु समूह बच्चों के दत्तक ग्रहण करने वाले की अधिकतम आयु 45 वर्ष और 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के दत्तक ग्रहण करने वाले की अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए।

(6) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के पास बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होने चाहिए।

(7) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई संक्रामक या गंभीर रोग या मानसिक या शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो उसे बच्चे की देखभाल से रोक सके।

(8) दूसरे बच्चे के दत्तक ग्रहण की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब प्रथम बच्चे के लिए कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया हो परन्तु यह भाई बहिनों के मामले में लागू नहीं है।

(9) एक अविवाहित या अकेले पुरुष को बालिका के दत्तक ग्रहण की अनुमति नहीं है।

7. **दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया** – (1) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार एक बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकता है :

(क) आम तौर पर भारत में निवास करने वाले भारतीय दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को केवल एक सरकारी मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण के माध्यम से बच्चे का दत्तक ग्रहण करना चाहिए, जिसे विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण कहते हैं।

(ख) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को केवल एक मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण अभिकरण के साथ पंजीकरण करना चाहिए, जो उनके निवास स्थान के सबसे समीप हो।

(ग) भारत में दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता ऑनलाइन www.adoptionindia.nic.in पर भी पंजीकरण कर सकते हैं।

(घ) विदेशों में रहने वाले दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता केवल कारा द्वारा अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से बच्चों का दत्तक ग्रहण कर सकते हैं जिन्हें अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (एएफएए) कहते हैं।

(ङ) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता किसी एएफएए या अपने निवास स्थान के सबसे समीप किसी केन्द्रीय प्राधिकरण में पंजीकरण करा सकते हैं।

(च) उन देशों में जहां कोई एएफएए या केन्द्रीय प्राधिकरण नहीं है वहां अपना प्रकरण का प्रक्रियान्वयन और कारा के पास भेजने के लिए भारतीय नागरिक भारतीय उच्चायोग या राजदूतावास में संपर्क कर सकते हैं।

(2) पंजीकरण के बाद दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को कारा की वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in में दिए गए विवरणों और इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में बताई गई दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को अपनाना होगा।

8. **बच्चे के पुनर्वास के लिए प्राथमिकताएं** – (1) बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए उसे एक ऐसे परिवार में रखने का अवसर देकर उसकी सेवा की जा सकती है जो देश के अंदर उसके अपने सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेश के समान हो।

(2) बच्चे की परवरिश और उसकी नृजातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषा विज्ञान संबंधी पृष्ठभूमि पर उचित विचार करते हुए उसे दत्तक ग्रहण में दिया जाना चाहिए, परन्तु बच्चे को देश के अंदर किसी भौगोलिक बाधा के बिना किसी भी भारतीय दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के साथ भेजा जा सकता है।

(3) एक ऐसे देश के नागरिक जिसने अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण, 1993 पर हेग अभिसमय की पुष्टि की है और जो एक ऐसे देश के सामान्य रूप से निवासी हैं जिसने भारत से बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए उक्त अभिसमय की पुष्टि की है।

(4) भारतीय नागरिक जो ऐसे देश में रहते हैं जो हेग अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, वे भी दत्तक ग्रहण के लिए पात्र हैं।

(5) देश के भीतर दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता दी जाएगी और देश के भीतर एवं अंतर देशीय दत्तक ग्रहण का अनुपात आरआईपीए द्वारा वार्षिक (जनवरी से दिसंबर) रूप से कराए गए कुल दत्तक ग्रहण का 80:20 होगा। इसमें विशिष्ट जरूरतमंद बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(6) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम का अनुसरण किया जाएगा:–

(i) अनिवासी भारतीय (एनआरआई)
(ii) भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई)
(iii) भारतीय मूल के व्यक्ति (पीआईओ)
(iv) विदेशी नागरिकों

9. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण** – (1) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए प्रकरणों का प्रक्रियान्वयन करते समय विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए ताकि संभावित दत्तक ग्रहण करने वाला परिवार इसके प्रति जागरूक हो और वह बच्चे की आवश्यकताओं पर अतिरिक्त देख रेख और ध्यान देने के लिए तैयार हो।

(2) यह समझना महत्वपूर्ण है कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शुरूआती अवस्था पर एक परिवार में किसी अन्य बच्चे से अधिक देखरेख और प्रेम की आवश्यकता होती है।

(3) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जितनी जल्दी संभव हो शीघ्रतापूर्वक पूरी की जानी चाहिए और इसके लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए निर्धारित समय सीमा का कठोरतापूर्वक पालन किया जाएगा।

(4) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण हेतु इच्छुक दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को प्रतीक्षा सूची में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(5) सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण नहीं किया जाता है और उन्हें संस्थानों में रहना पड़ता है और ऐसे बच्चे विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा विशेष संस्थानों में भेज दिए जाने चाहिए यदि राज्य में ऐसे संस्थान उपलब्ध नहीं है।

अध्याय II
दत्तक ग्रहण पूर्व प्रक्रिया

10. **अनाथ और बेसहारा बच्चों के मामले में प्रक्रियाविधि** – यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, चाहे एक व्यक्ति हो या एक नर्सिंग होम या अस्पताल या अन्य कोई संस्थान, जो या जिन्हें एक बेसहारा बच्चा या एक अनाथ बच्चा प्राप्त होता है जिसके साथ पारिवारिक समर्थन नहीं है तो वे इस तथ्य की जानकारी तत्काल या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभावी अधिकारी या बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) या चाइल्ड लाइन (टेलीफोन 1098) उस क्षेत्र की विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को तत्काल दें, जैसा व्यावहारिक हो।

11. **दाखिला** – (1) यदि किसी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को एक बेसहारा या एक अनाथ बच्चा प्राप्त होता है तो यह बच्चे को अपने गृह में अस्थायी आधार पर दाखिल करेगी और इस दाखिले को बाल कल्याण समिति द्वारा अधिकृत करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

(2) एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दाखिल किए गए सभी बच्चों के विवरण **अनुसूची–I** के अनुसार फॉर्मेट में मास्टर दाखिला रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे।

(3) बच्चे का दाखिला होने पर विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी बच्चे को एक नाम देगी, यदि ऐसा पहले नहीं किया गया है, उसकी संक्षिप्त सामाजिक पृष्ठभूमि, पहचान के चिन्ह, लंबाई और वज़न दर्ज किए जाएंगे तथा बच्चे की चिकित्सा जांच भी कराई जाएगी।

(4) बच्चे की तस्वीर ली जाएगी और यदि बच्चा निराश्रित है तो बच्चे की तस्वीर के साथ निकटतम पुलिस थाने में बच्चा प्राप्त होने के 24 घण्टों के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

(5) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बच्चे के कल्याण के सभी अनिवार्य कदम उठाए जाएंगे।

12. **बाल कल्याण समिति के सामने बच्चे को प्रस्तुत करना** – (1) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा एक अनाथ या बेसहारा बच्चे को, जो उनकी अस्थायी देख रेख में है, उक्त बच्चा प्राप्त होने के 24 घण्टों के अंदर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है।

(2) पुलिस थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट की एक प्रति भी, जिसके अधिकार क्षेत्र में बच्चा बेसहारा पाया गया है, बाल कल्याण समिति में जमा कराई जाएगी।

(3) यदि बच्चे की आयु दो वर्ष से कम है और वह चिकित्सा संबंधी कारणों से यात्रा करने में समर्थ नहीं है तो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी एक लिखित रिपोर्ट के साथ बच्चे की तस्वीर 24 घण्टों के अंदर समिति के पास भेजेगी और जैसे ही बच्चा चिकित्सा की दृष्टि से स्वस्थ हो जाता है तो इस आशय के चिकित्सा प्रमाणपत्र के साथ बच्चे को समिति के सामने प्रस्तुत करेगी।

(4) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा उन परिस्थितियों पर बाल कल्याण समिति में एक रिपोर्ट जमा कराई जाएगी जिनके तहत बच्चा उनकी जानकारी में आया और राज्य तथा केन्द्र में पुलिस एवं गुमशुदा व्यक्तियों के दल या गुमशुदा व्यक्तियों के ब्यूरो को सूचित करने में उनके द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी जाएगी।

13. **लौटाने के प्रयास** – (1) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा बेसहारा बच्चे के माता – पिताया जैविक परिवार का पता लगाने के लिए बाल कल्याण समिति द्वारा किए गए प्रयासों के अतिरिक्त लौटाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा किसी प्रयोजन के लिए एक स्वतंत्र पूछताछ भी आयोजित की जाएगी।

(3) दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र और उनके क्षेत्र में परिचालित एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र में एक अधिसूचना भेजी जाएगी।

(4) एक ऐसे समाचार पत्र में उस भाषा में भी एक अधिसूचना भेजी जाएगी जिसे बच्चा बोलता है और यह अधिसूचना उस क्षेत्र में जारी की जाएगी जहां बच्चे को निराश्रित पाया गया था।

(5) दो वर्ष या इससे अधिक आयु के बच्चों के लिए एक टेलीविजन या रेडियो पर भी घोषणा की जाएगी।

(6) दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के मामले में उप पैराग्राफ (2) से (4) में बताई गई प्रक्रिया बच्चे के मिलने के 6 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी और यदि बच्चा दो वर्ष या इससे अधिक आयु का है तो यह समय अवधि चार माह होगी।

(7) यदि बच्चा लेने के लिए कोई दावाकर्ता आता है तो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी इस प्रकरण को बाल कल्याण समिति के सामने भेजेगी और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी बाल कल्याण समिति द्वारा किए गए निर्णय द्वारा बाध्य होगी।

(8) यदि उप पैराग्राफ (6) में बताई गई समय अवधि समाप्त होने के बाद भी कोई दावाकर्ता बच्चे को लेने आगे नहीं आता है तो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा बाल कल्याण समिति के सामने एक घोषणा की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि बच्चे के लिए कोई दावाकर्ता नहीं है।

(9) बच्चे की पृष्ठभूमि का पता लगाने के लिए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा किए गए प्रयासों पर एक रिपोर्ट भी बाल कल्याण समिति के पास उन्हें सूचित निर्णय लेने में सहायता देने हेतु प्रस्तुत की जाएगी।

(10) बच्चे पर तब तक दत्तक ग्रहण के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक बाल कल्याण समिति द्वारा यह प्रमाणपत्र जारी न किया जाए जिसमें घोषित किया गया हो कि बच्चा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए स्वतंत्र है।

14. **अभ्यर्पित बच्चों के मामले में प्रक्रियाविधि** – (1) एक बच्चे को निम्नलिखित मामलों में अभ्यर्पित किया जा सकता है :

(i) बच्चा गैर सहमति के संबंध के परिणामस्वरूप पैदा हुआ है ;
(ii) बच्चा एक अनब्याही मां या विवाह बंधन के अतिरिक्त पैदा हुआ है ;
(iii) बच्चे के जैविक माता – पिता में से एक की मौत हो गई है और जीवित अभिभावक उसकी देखभाल करने में अक्षम या अयोग्य है ;
(iv) बच्चे के माता – पिताउसके शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक कारकों के कारण उसका त्याग करने के लिए बाध्य हैं जो उनके नियंत्रण से परे है ;
(v) अभ्यर्पित बच्चे के सभी मामलों में उपरोक्त उप पैराग्राफ 11 (2), (3), (4) और (5) में बताई गई दाखिले की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

(2) यदि बच्चे को विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से अभ्यर्पित किया गया है तो प्रक्रिया इस प्रकार होगी :

(i) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा अभ्यर्पित किए जाने वाले बच्चे को अभ्यर्पित करने वाले माता – पिताके साथ उक्त बच्चा प्राप्त होने के 24 घण्टों के अंदर बाल कल्याण समिति के पास प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यात्रा में लगा समय शामिल नहीं है।

(ii) बाल कल्याण समिति के निर्देश पर विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा बच्चे की अस्थायी देखरेख तब तक जारी रखी जा सकती है जब तक उसे लौटा न दिया जाए अथवा उसका पुनर्वास न हो जाए।

(iii) एकल मां के मामले में बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत होने की अनिच्छुक महिला होने पर बाल कल्याण समिति का एक सदस्य, वरीयतः एक महिला, इस मां से अलग से मुलाकात कर सकती है।

(iv) जैविक माता – पिताद्वारा बच्चे के अभ्यर्पण के मामले में यह प्रक्रिया बाल कल्याण समिति के दो सदस्यों के सामने की जाएगी।

(v) यदि समिति की बैठक नहीं हो रही है तो बच्चे को धारा 30 की उप धारा (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार समिति के एक सदस्य के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है।

(3) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में अन्य विवरणों के साथ निम्नलिखित भी शामिल होंगे :

(क) जैविक माता और पिता के विवरण, इसके साथ –

(i) सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि ;
(ii) पते और पहचान का प्रमाण ;
(iii) दोनों जैविक अभिभावकों के ज्ञात चिकित्सा रिकॉर्ड और ;
(iv) निकटतम रिश्तेदारों का ब्यौरा, यदि उपलब्ध हो ;

(ख) अभ्यर्पित किए जाने वाले बच्चे के विवरण, इसके साथ –

(i) सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि ;
(ii) भाइयों–बहनों के विवरण, यदि कोई हो ;
(iii) ज्ञात चिकित्सा इतिहास ;
(iv) जन्मतिथि प्रमाणपत्र के साथ जन्म तिथि और स्थान, यदि उपलब्ध हो

15. **अभ्यर्पण की प्रक्रिया को पूरा करना** – (1) यदि माता – पिताया माता – पितामें से कोई एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के पास बच्चे के अभ्यर्पण हेतु संपर्क करते हैं तो एजेंसी द्वारा उक्त बच्चे के अभ्यर्पण की रोकथाम के लिए परामर्श सहित सभी प्रयास किए जाएंगे।

(2) बाल कल्याण समिति द्वारा माता – पिताको परामर्श देकर तथा अभ्यर्पण के परिणाम समझा कर उन्हें बच्चे को अपने पास रखने की संभावना खोजने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(3) यदि माता – पिताफिर भी अपने बच्चे को रखने के इच्छुक नहीं है तो ऐसे बच्चे को आरंभिक रूप से एसएए की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(4) यदि अभ्यर्पण टाला नहीं जा सकता है तो अभ्यर्पण का एक विलेख **अनुसूची–II** में दिए गए विवरण के अनुसार निष्पादित किया जाएगा और इस पर बच्चे का अभ्यर्पण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा एवं दो अन्य गवाहों की उपस्थिति में बाल कल्याण समिति के समक्ष हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(5) यदि विवाह के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे का अभ्यर्पण किया गया है तो माता – पितादोनों को अभ्यर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने होंगे और यदि इन दोनों में से किसी एक की मौत हो गई तो उसकी मौत के समर्थन में मौत का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) जहां मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है वहां स्थानीय पंचायत या नगर निगम प्राधिकरण से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

(7) जब बच्चे का जन्म विवाहित दम्पत्ति से हुआ है, किन्तु इसे एक जैविक अभिभावक द्वारा अभ्यर्पित किया गया है और दूसरे अभिभावक के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो बच्चे को बेसहारा माना जाएगा और आगे की कार्रवाई तदनुसार की जाएगी।

(8) यदि बच्चे का जन्म विवाह के बाहर हुआ है तो केवल मां बच्चे का अभ्यर्पण कर सकती है और यदि वह वयस्क नहीं है तो अभ्यर्पण दस्तावेज पर साथ में आए नजदीकी रिश्तेदार के हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएं।

(9) यदि अभ्यर्पण जैविक अभिभावकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो बच्चे को बेसहारा माना जाएगा और एक बेसहारा बच्चे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की अपनाई जाएगी।

(10) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा बाल कल्याण समिति के सामने अभ्यर्पण की प्रक्रिया की सुविधा प्रदान की जाएगी।

(11) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी और बाल कल्याण समिति सुनिश्चित करेंगी कि अभ्यर्पण करने वाले अभिभावक या कानूनी संरक्षक यह जानते हैं कि वे अभ्यर्पण पर पुनः विचार कर सकते हैं और उक्त अभ्यर्पण की तिथि के 60 दिनों के अंदर की अवधि में ही अभ्यर्पित किए गए बच्चे पर पुनः दावा पेश कर सकते हैं।

(12) अभ्यर्पण के सभी मामलों में इस प्रक्रिया में शामिल प्राधिकारियों और एजेंसियों द्वारा गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

(13) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी या बाल कल्याण समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि अभ्यर्पण विलेख की एक प्रति अभ्यर्पण करने वाले अभिभावकों या कानूनी संरक्षकों द्वारा रखी गई है, जैसा भी मामला हो, ताकि वे बच्चे के अभ्यर्पण के अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकें।

(14) समिति द्वारा अभ्यर्पित बच्चे को 60 दिन की पुनः विचार अवधि के समापन के बाद दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर स्वतंत्र घोषित किया जाएगा।

16. **बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र बच्चे की घोषणा** – (1) यदि एक अनाथ या एक बेसहारा बच्चे के माता – पिताका पता लगाने के सभी प्रयास असफल रहते हैं, जिसे अस्थायी आधार पर विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी में रखा गया है और अभ्यर्पित बच्चों के मामले में, यदि 60 दिनों की पुनः दावा अवधि पूरी हो चुकी है तो वह विशेष एजेंसी बाल कल्याण समिति से बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए संपर्क कर सकती है।

(2) यह संतुष्टि करने के बाद की अधिनियम में बताई गई देय प्रक्रिया और इसके तहत बनाए गए नियमों का पालन किया गया है और निर्धारित अवधि के अंदर बच्चे का दावा करने के लिए कोई आगे नहीं आया है तो बाल कल्याण समिति द्वारा बच्चे को दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया जा सकता है।

(3) उप पैराग्राफ (2) के तहत **अनुसूची–III** में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

(4) सात वर्ष या इससे अधिक के किसी बच्चे को उसकी अपनी सहमति के बिना दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया जाएगा जो अपनी बात समझ और उसे व्यक्त कर सकता है।

(5) एक बच्चा दत्तक ग्रहण के लिए पात्र केवल तभी बनता है जब उसे बाल कल्याण समिति द्वारा उपरोक्त पैरा (ख) में उल्लिखित एक प्रमाणपत्र के माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है।

अध्याय III
दत्तक ग्रहण प्रक्रिया

17. **स्वदेशी दत्तक ग्रहण हेतु दत्तक ग्रहण प्राधिकरण तथा एजेंसियां** – स्वदेशी दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में निम्नलिखित प्राधिकरण या एजेंसियां शामिल होंगी –

(क) सक्षम न्यायाधिकार क्षेत्र के न्यायालय, जो दत्तक ग्रहण के लिए आदेश दे सकते हैं ;

(ख) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) ;

(ग) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए) या दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी (एसीए) और ;

(घ) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी (एसएए)

18. **पंजीकरण** – (1) एक बच्चे का दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता केवल एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के साथ अपना पंजीकरण कराएंगे, वरीयतः जो उनके निवास स्थान के निकटतम है और उक्त एजेंसी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को पंजीकरण की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन प्रदान करेगी।

(2) **अनुसूची–IV** के अनुसार पंजीकरण के लिए

(3) आवेदन प्राप्ति पर सभी अनिवार्य दस्तावेजों और अपेक्षित पंजीकरण शुल्क के साथ विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता का पंजीकरण करेगी और उन्हें एक पंजीकरण पर्ची जारी करेगी।

(4) कारा द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को अपनी वेबसाइट www.adoptionindia.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अनंतिम पंजीकरण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

(5) यदि दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता एक विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी से दत्तक ग्रहण के इच्छुक हैं जो उसके अतिरिक्त है जहां उनका पंजीकरण किया गया है किन्तु उसी राज्य के अंतर्गत है तो दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता अपनी पंजीकरण पर्ची के साथ एसीए या एसएआरए से संपर्क कर सकते हैं।

(6) एसीए या एसएआरए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी से संपर्क करेंगे जहां से दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता दत्तक ग्रहण के इच्छुक हैं, ताकि उक्त दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को उस विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की प्रतीक्षा सूची में तत्काल शामिल किया जा सके।

(7) यदि किसी राज्य के दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता जो किसी अन्य राज्य से एक बच्चे को दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक हैं, जहां वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं, तो वे उस राज्य के एसीए और एसएआरए से अपनी पंजीकरण पर्ची सहित संपर्क कर सकते हैं।

(8) एसीए या एसएआरए द्वारा उक्त दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता का पंजीकरण उस राज्य के एसीए या एसएआरए को तत्काल भेज दिया जाएगा, जहां से दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता बच्चे का दत्तक ग्रहण करने का इच्छुक है ताकि उक्त दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को उस राज्य के दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की प्रतीक्षा सूची में तत्काल स्थानांतरित किया जा सके।

19. **दत्तक ग्रहण पूर्व परामर्श और दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की तैयारी** – (1) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को उपयुक्त निर्णय में लेने की सुविधा देने के लिए संबंधित विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी उन्हें दत्तक ग्रहण से पहले का परामर्श प्रदान करेगी।

(2) उक्त एजेंसी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को दत्तक ग्रहण और संबंधित प्रक्रिया के लिए सभी संगत सूचना देकर भी तैयार करेगी।

20. **गृह अध्ययन और अन्य आवश्यकताएं** – (1) **अनुसूची–V** में उल्लिखित दस्तावेज दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा संबंधित विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को गृह अध्ययन की सुविधा हेतु प्रदान किए जाएंगे।

(2) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता का गृह अध्ययन पंजीकरण की स्वीकार्यता की तिथि से अधिकतम दो माह के अंदर केवल व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा किया जाएगा जो विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के द्वारा अधिकृत और निवास के मौजूदा स्थान से निकटतम होगा।

(3) गृह अध्ययन की रिपोर्ट **अनुसूची–VI** में बताई गई प्रक्रियाओं के आधार पर बनाई जाएगी।

(4) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की गृह अध्ययन रिपोर्ट दो वर्ष की अवधि तक देश में किसी स्थान पर दत्तक ग्रहण के लिए वैध होगी।

(5) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की चिकित्सा जांच रिपोर्ट बच्चे को संदर्भित करने के समय एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

21. **रेफरल और स्वीकार्यता** – (1) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा अपने सचिव या प्रबंधन न्यासी, एक वरिष्ठ व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, विजिटिंग चिकित्सा अधिकारी और एजेंसी के

एक अन्य पदाधिकारी सहित बच्चे के समनुदेशन हेतु एक "दत्तक ग्रहण समिति" का गठन किया जाएगा।

(2) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के साथ बच्चे का समनुदेशन "दत्तक ग्रहण समिति" द्वारा केवल तभी किया जाएगा जब बच्चे को बाल कल्याण समिति द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र घोषित किया जाए और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को दत्तक ग्रहण के लिए पात्र पाया जाता है।

(3) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा एक बच्चे के समनुदेशन हेतु दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा दिए गए आवश्यक विवरण के अनुसार, यदि कोई हो, सर्वोत्तम प्रयास किए जाएंगे।

(4) बच्चे का मिलान करने के बाद, विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को अपनी स्वीकार्यता देने से पहले बच्चे को वास्तविक रूप से देखने की सलाह देगी।

(5) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा मिलान किए गए बच्चे या बच्चों को केवल विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के परिसर में दिखाया जाएगा और यदि दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता इस बात के इच्छुक हों तो वे अपने स्वयं के मेडिकल प्रेक्टिशनर द्वारा बच्चे की चिकित्सा जांच करा सकते हैं।

(6) मिलान किए गए बच्चे (या भाई बहनों के मामले में बच्चों) की बालक अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को स्वीकार करने हेतु भेजी जाएगी और इसे एक "रेफरल" कहते हैं

(7) यदि दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता प्रस्तावित बच्चे को दत्तक ग्रहण करने का निर्णय लेते हैं तो वे 10 दिनों के अंदर बच्चे की बाल अध्ययन रिपोर्ट और चिकित्सा जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद दत्तक ग्रहण के लिए औपचारिक स्वीकार्यता दे देते हैं।

(8) यदि भेजे गए बच्चे को दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें एक दिए गए समय पर अधिकतम दो बच्चों का प्रस्ताव दिया जाएगा।

(9) यदि मिलान नहीं किया जाता है तो दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को उस तिथि के तीन माह समाप्त हो जाने के बाद ही पुनः विचार की पात्रता है जिससे उन्हें अंतिम बार बच्चा दिखाया गया था।

(10) यदि बच्चों की नियोजन आयु सात वर्ष और उससे अधिक है तो प्रस्तावित नियोजन के लिए बच्चे की लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और यदि बच्चा पढ़ और लिख नहीं सकता है तो

"दत्तक ग्रहण समिति" की उपस्थिति में मौखिक सहमति ली जाएगी, जो इसे दर्ज करेगी और दर्ज किए गए वक्तव्य पर बच्चे के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा।

(11) जिस तिथि पर बच्चे की स्वीकृति दी गई है उसे वक्तव्य में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

22. **दत्तक ग्रहण पूर्व पालक देखरेख** – (1) एक बच्चे को दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा रेफरल की स्वीकार्यता के बाद दत्तक ग्रहण पूर्व पालक देखरेख में रखा जा सकता है।

(2) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को अपनी अस्थायी अभिरक्षा में बच्चे को लेने से पहले एक पालक देख रेख शपथ पत्र और एक वचन देना होगा।

(3) बच्चे को संभावित दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिताके पास वास्तविक रूप से सौंपने से पहले दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि इसके पास दो नजदीकी संबंधियों के विवरण सहित दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के स्थानीय संपर्कों का एक अभिलेख है।

(4) पालक देख रेख की अवधि के दौरान दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को अधिकार होगा कि वह विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को विधिवत सूचित करने के बाद देश के अंदर बच्चे को कहीं भी ले जाए, जो इस शर्त के अधीन होगा कि बच्चे को कानूनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय द्वारा जब और जैसे आवश्यक हो, लाया जाएगा।

23. **कानूनी प्रक्रिया** – (1) बच्चे को सक्षम न्यायालय द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के पास दत्तक ग्रहण के लिए कानूनी तौर पर रखा जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय उस क्षेत्र में होना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थित है।

(2) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी अधिकार क्षेत्र के सक्षम न्यायालय के क्षेत्र में अधिनियम के तहत अनिवार्य दत्तक ग्रहण आदेश प्राप्त करने के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा रेफरल की स्वीकार्यता के 10 दिनों के अंदर एक याचिका दायर करेगी और न्यायालय में इसका नियमित रूप से अनुवर्तन करेगी ताकि कानूनी दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया शीघ्रतम पूरी की जा सके।

(3) दत्तक ग्रहण याचिका में **अनुसूची–VII** के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेज निहित होंगे।

(4) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल कै पाण्डेय बनाम भारतीय संघ (लिखित याचिका संख्या 1171, 1982) के मामले में दिए गए निर्देशानुसार सक्षम न्यायालय को दायर होने की तिथि के अधिकतम दो माह के अंदर मामले का निपटान करने की आवश्यकता है।

(5) बच्चे के सर्वोत्तम हित के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकतम संभव रूप से पहली सुनवाई में ही मामले का निपटान किया जा सकता है।

(6) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा न्यायालय आदेश तथा संबंधित एसएआरए या एसीए और दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को दत्तक ग्रहण विलेख अग्रेषित किए जाएंगे।

24. **अनुवर्तन दौरे और दत्तक ग्रहण पश्चात सेवाएं** – (1) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा समय समय पर बच्चे के कानूनी दत्तक ग्रहण के बाद दो वर्ष की अवधि तक अर्ध वार्षिक अनुवर्तन दौरे किए जाएंगे, जिसे पूर्व दत्तक ग्रहण पालक देखभाल में रखा गया है।

(2) बच्चों की अनुवर्तन रिपोर्ट की प्रतियां विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा एसएआरए या एसीए के पास जमा की जाएंगी।

(3) दत्तक ग्रहण में टूटने के मामलों में विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी बच्चे के वैकल्पिक पुनर्वास के प्रयास करेगी।

25. **समय सीमा** – दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियां और प्राधिकरण **अनुसूची–VIII** में स्वदेशी दत्तक ग्रहण के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे।

26. **अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय के अनुसार अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया** – (1) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में शामिल प्राधिकरण और एजेंसियां इस प्रकार हैं

(क) सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय, जो दत्तक ग्रहण के लिए आदेश पारित कर सकें ;

(ख) केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (कारा) ;

(ग) प्राप्त करने वाले देश के केन्द्रीय प्राधिकरण (सीए) ;

(घ) विदेशों में भारतीय राजनीतिक मिशन ;

(ङ) भारत में विदेशी राजनयिक मिशन ;

(च) अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (एएफएए) ;

(छ) राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (एसएआरए) या दत्तक ग्रहण समन्वय अभिकरण (एसीए) ;

(ज) मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन एजेंसी (आरआईपीए) ;

(झ) दत्तक ग्रहण संस्तुति समिति (एआरसी) ;

(2) उप पैराग्राफ (1) में संदर्भित प्राधिकरण और एजेंसियों का मार्गदर्शन इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में बताई गई अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रियाविधियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें **अनुसूची–IX** में दिए गए अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण – 1993 पर हेग अभिसमय से शक्ति मिलती है।

27. **एनआरआई या ओसीआई या पीआईओ या विदेशी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के लिए पंजीकरण** – (1) भारत से किसी बच्चे या बच्चों का दत्तक ग्रहण करने के इच्छुक दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता अधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी (एएफएए) या केन्द्रीय प्राधिकरण (सीए) या प्राप्त करने वाले देश में दत्तक ग्रहण के मामलों से निपटने वाले सरकारी विभागों के साथ अपना पंजीकरण कर सकते हैं।

(2) एएफएए या सीए की सहायता से दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता भारत से बच्चे के दत्तक ग्रहण के लिए अपने देश के सक्षम प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

28. **गृह अध्ययन और अन्य आवश्यकताएं** – (1) एएफएए या केन्द्रीय प्राधिकरण या देश में दत्तक ग्रहण के मामलों से निपटने वाले सरकारी विभागों के व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ता, जहां दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता साधारण तौर से निवास करते हैं (365 दिन या अधिक) द्वारा गृह अध्ययन आयोजित किया जाएगा और एचएसआर तैयार की जाएगी तथा इस एचएसआर में **अनुसूची–VII** में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज निहित होंगे।

(2) गृह अध्ययन रिपोर्ट का भाग बनाने वाले सभी दस्तावेजों को नोटरीकृत किया जाएगा और नोटरी के हस्ताक्षर को प्राप्त करने वाले देश के सक्षम प्राधिकरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

(3) यदि दस्तावेज अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो सक्षम प्राधिकरण द्वारा सत्यापित अंग्रेजी का अनुवाद मूल दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(4) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की एचएसआर दो वर्ष की अवधि तक वैध होगी, किन्तु दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की चिकित्सा स्थिति बच्चे के रेफरल के समय एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

(5) गृह अध्ययन रिपोर्ट में दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा बच्चे की आयु, लिंग, शारीरिक और चिकित्सीय परिस्थिति या भारत के अंदर स्थान के विषय में वरीयताएं दर्शाई जाएं, यदि कोई हों।

29. **कारा द्वारा आरआईपीए को अभिज्ञात करना** – (1) बच्चे को प्राप्त करने वाले देश के एएफएए या सीए या संबंधित सरकारी विभाग द्वारा उपयुक्त आरआईपीए को अभिज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से एचएसआर (मूल नहीं) की सत्यापित या नोटरीकृत प्रति कारा को भेजी जाएगी।

(2) कारा में अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तावित दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की प्रथम दृष्टि उपयुक्तता की जांच के लिए एक छानबीन समिति होगी और साथ ही आरआईपीए को भी अभिज्ञात किया जाएगा जहां डॉज़ियर (दस्तावेज) अग्रेषित किए जाएंगे और कारा के एक अधिकारी के नेतृत्व में बनाई गई समिति में बाहरी विशेषज्ञ भी होंगे।

(3) किसी विशेष आरआईपीए को डॉज़ियर अग्रेषित करने का निर्णय लेते समय समिति एक राज्य विशेष के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की वरीयता, बच्चों की उपलब्धता और आरआईपीए के निष्पादन सहित स्वदेशी दत्तक ग्रहण आदि को भी ध्यान में रखेगी।

(4) उप पैराग्राफ (2) और (3) में उल्लिखित प्रक्रिया वरीयतः डॉज़ियर प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी।

(5) अभिज्ञात आरआईपीए को कारा द्वारा सूचित किया जाएगा और कारा द्वारा संबंधित एएफएए या सीए या सरकारी विभाग को अभिज्ञात आरआईपीए तक मूल डॉज़ियर भेजने की सलाह भी दी जाएगी।

(6) कारा द्वारा आरआईपीए का चयन एक बच्चे को भारत से रेफर करने का किसी भी तरह से सुनिश्चिय नहीं करेगा और न ही यह कारा पर बाध्यता होगी कि एक बच्चे का रेफरल सुनिश्चित किया जाए।

(7) आरआईपीए द्वारा किसी एएफएए या सीए या भारत के बाहर रहने वाले दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता से एक भारतीय बच्चे के दत्तक ग्रहण हेतु आवेदन प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं किया जाएगा।

30. **रेफरल और स्वीकार्यता** – (1) आरआईपीए बच्चे के समनुदेशन, रेफरल और नियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) यदि आरआईपीए को कारा द्वारा अग्रेषित अपने डॉज़ियर की विस्तृत संवीक्षा के बाद कोई उपयुक्त दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता नहीं मिलता है तो यह मूल डॉज़ियर प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कारा को इसके विषय में कारण सहित जानकारी देगा।

(3) कारा को आरआईपीए की सिफारिश स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

(4) डॉज़ियर की विस्तृत संवीक्षा और पात्र दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के रूप में उनकी स्वीकार्यता के बाद आरआईपीए द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के अनुरोध के अनुसार अधिकतम संभव रूप से बच्चे का मिलान किया जाएगा।

(5) आरआईपीए द्वारा बाल अध्ययन रिपोर्ट और बच्चे की चिकित्सा जांच रिपोर्ट बनाने वाले रेफरल को एएफएए या सीए या प्राप्त करने वाले देश के संबंधित सरकारी विभाग के पास भेजा जाएगा, जैसा भी मामला हो।

(6) एएफएए या सीए या प्राप्त करने वाले देश के संबंधित सरकारी विभाग द्वारा, जैसा भी मामला हो स्वीकार्यता के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के पास रेफरल भेजे जाएंगे।

(7) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एएफएए या सीए या प्राप्त करने वाले देश के संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, "दत्तक ग्रहण के लिए रेफरल" की मूल प्रति वापस निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आरआईपीए को भेजेंगे :

(i) सीएसआर और एमईआर की नोटरीकृत या सत्यापित प्रति जिस पर दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों ;
(ii) मामले को न्यायालय में दायर करने के लिए आरआईपीए के अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता के पक्ष में दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता का मुख्तारनामा ;
(iii) हेग अभिसमय के अनुच्छेद 17 के तहत करार या अनुच्छेद 5 के तहत एक प्रमाणपत्र, जो लागू हो, जिसे प्राप्त करने वाले देश के सीए या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(8) एक बच्चे के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया रेफरल की तिथि के 45 दिनों के अंदर की अवधि में एएफएए या सीए द्वारा पूरी की जाएगी।

31. **दत्तक ग्रहण संस्तुति समिति द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए सिफारिशें** – (1) राज्य सरकार द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में एक बच्चे के नियोजन हेतु संवीक्षा के लिए दत्तक ग्रहण संस्तुति समिति (एआरसी) के रूप में ज्ञात एक समिति का गठन किया जाएगा और संस्तुति प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(2) दत्तक ग्रहण संस्तुति समिति में राज्य सरकार के निदेशक या आयुक्त होंगे जो बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं या उनके प्रतिनिधि, कार्यक्रम प्रबंधक (गैर संस्थागत देखरेख – एसएआरए) और एक बाह्य विशेषज्ञ या मनोवैज्ञानिक जिसके किसी दत्तक ग्रहण एजेंसी के साथ कोई संपर्क नहीं है।

(3) जब तक एक राज्य में एसएआरए प्रचालनरत है, एसीए के अध्यक्ष या इनके प्रतिनिधि अन्य संदस्यों के साथ समिति के सदस्य के रूप में (कार्यक्रम प्रबंधक के स्थान पर) कार्य करेंगे।

(4) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा स्वीकृत रेफरल प्राप्त होने पर आरआईपीए द्वारा डॉज़ियर की दो प्रतियां अग्रेषित की जाएंगी, जिसमें दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की एचएसआर और सीएसआर (एमईआर सहित) शामिल होंगी जिस पर दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों और यह एसएआरए या एसीए के पास प्रशासनिक व्यय के लिए एसएआरए या एसीए पक्ष में 2500 रु. के चैक या ड्राफ्ट सहित भेजी जाएगी।

(5) प्राप्त राशि का उपयोग डॉज़ियर के प्रसंसाधन, बाह्य विशेषज्ञों के भुगतान और अन्य दत्तक ग्रहण प्रोत्साहनकारी कार्यकलापों के संबंध में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए होगा।

(6) डॉज़ियर का भाग बनाने वाले दस्तावेजों की सूची **अनुसूची–X** के अनुसार होगी।

(7) पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाने वाला एक नमूना शपथ पत्र, जिसे आरआईपीए द्वारा दायर किया जाना है, **अनुसूची–XI** में दिया गया है।

(8) एसएआरए उप पैराग्राफ (1) के तहत गठित समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

(9) एसएआरए को आरआईपीए से अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए प्रकरणों के डॉज़ियर प्राप्त होंगे और इन्हें संस्तुति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एआरसी के सामने रखा जाएगा।

(10) जब तक राज्य में एसएआरए प्रचालनरत होता है, एसीए उस राज्य में एसएआरए के कार्यों का निष्पादन करेगा।

(11) एसएआरए या एसीए, जैसा भी मामला हो सुनिश्चित करेंगे कि संस्तुति प्रमाणपत्र डॉज़ियर प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों के अंदर शीघ्रतापूर्वक जारी किया जाता है।

(12) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे के मामले में एसएआरए या एसीए, जैसा भी मामला हो, संस्तुति प्रमाणपत्र डॉज़ियर प्राप्त होने की तिथि के 5 दिनों के अंदर शीघ्रतापूर्वक जारी करें।

(13) विशेष चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं वाले बच्चों के मामले में एसएआरए या एसीए, जैसा भी मामला हो, एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान या एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणपत्र पाने के लिए आरआईपीए से कह सकते हैं।

(14) भाई बहनों और बड़े बच्चों के मामले में एआरसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त बच्चे या बच्चों के लिए क्षेत्र के अंदर प्रतीक्षारत कोई भारतीय दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता नहीं है।

(15) संस्तुति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गठित समिति द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की उपयुक्तता और दत्तक ग्रहण के लिए प्रस्तावित बच्चे के बारे में स्वयं संतुष्टि की जानी चाहिए।

(16) समिति द्वारा आरआईपीए के जरिए जमा कराए गए दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि आरआईपीए द्वारा सही प्रक्रिया अपनाई गई है।

(17) यदि किसी भी चरण पर एसएआरए या एसीए या एआरसी को संस्तुति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों से संतुष्टि नहीं है तो यह मामले के निपटान से पहले उपयुक्त जांच पड़ताल करेगा।

(18) समिति द्वारा जारी संस्तुति प्रमाणपत्र में सकारात्मक संस्तुति की जाएगी यदि इसे यह संतुष्टि है कि समिति को **अनुसूची–XII** में दिए गए प्रारूप के अनुसार अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण में प्रस्तावित दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के साथ नियोजित किए जा रहे बच्चे पर कोई आपत्ति नहीं है।

32. **कारा द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी करना** – (1) दत्तक ग्रहण संस्तुति समिति द्वारा संस्तुति प्रमाणपत्र जारी करने पर एसएआरए में डॉज़ियर की एक प्रति रखी जाएगी और डॉज़ियर का दूसरा सैट संस्तुति प्रमाणपत्र के साथ कारा को भेजा जाएगा।

(2) जब तक राज्य में एसएआरए प्रचालनरत नहीं होता है तब तक इस पैराग्राफ के तहत एसीए द्वारा इसके कार्य निष्पादित किए जाएंगे।

(3) एसीए या एसएआरए द्वारा संबंधित आरआईपीए को संस्तुति प्रमाणपत्र की एक प्रति भेजी जाएगी।

(4) कारा द्वारा "अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) समिति" का गठन किया जाएगा जिसमें कारा के अधिकारी और बाल विकास या मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य या चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत बाह्य विशेषज्ञ होंगे और समिति प्रत्येक अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में "अनापत्ति प्रमाणपत्र" जारी करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(5) कारा द्वारा गठित एनओसी समिति द्वारा निम्नलिखित की जांच की जाएगी –

(i) आरआईपीए द्वारा जमा किए गए संगत दस्तावेज और सत्यापित करना कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में बताई गई उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

(ii) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के साथ बच्चे का मिलान और नियोजन बच्चे के सर्वोत्तम हित में है।

(6) एनओसी समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद प्रत्येक मामले में एनओसी जारी किया जाएगा।

(7) कारा को किसी भी अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण मामले को अस्वीकार करने का अधिकार है, जो एनओसी समिति द्वारा इसका कारण बताते हुए उपयुक्त नहीं पाया गया है।

(8) एनओसी जारी करने की प्रक्रिया कारा में संपूर्ण डॉज़ियर प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के अंदर पूरी की जाएगी।

(9) एनओसी हेग अभिसमय के अनुच्छेद 17 के अनुसार जारी किया जाएगा।

(10) कारा द्वारा जारी एनओसी की प्रति आरआईपीए को भेजी जाएगी और इसकी एक प्रति एसएआरए या एसीए, प्राप्त करने वाले देश के एएफएए या सीए या संबंधित सरकार विभाग को भेजी जाएगी, जैसा भी मामला हो।

33. **दत्तक ग्रहण पूर्व पालक देखरेख** – (1) एक बच्चे को कारा द्वारा एनओसी जारी करने के बाद ही पूर्व दत्तक ग्रहण पालक देखरेख में आरआईपीए द्वारा उसकी वास्तविक अभिरक्षा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को दी जा सकती है।

(2) भारत में दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को सूचित किया जाएगा कि उक्त पालक देख रेख अंतिम दत्तक ग्रहण आदेश जारी होने तक चलती रहेगी।

(3) पालक देखरेख में रखे गए बच्चे को किसी भी परिस्थिति में दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा दत्तक ग्रहण एजेंसी में वापस अस्थायी देख रेख के लिए नहीं भेजा जाएगा जब तक इसमें कोई रुकावट न हो और दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता दत्तक ग्रहण को आगे जारी रखने के इच्छुक नहीं हों।

(4) भारतीय दत्तक ग्रहण एजेंसी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को बच्चा वास्तविक रूप से सौंपने से पहले उन्हें सूचित करेगी कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में निर्धारित अवधि से कुछ अधिक समय लग सकता है, ताकि दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता बच्चे की पालक देखरेख करने के विषय में एक सूचित निर्णय ले सकें।

(5) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को संबंधित भारतीय दत्तक ग्रहण एजेंसी की लिखित अनुमति के बिना बच्चे को शहर से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को राष्ट्रीयता के देश में भारत के मिशन या प्राप्त करने वाले देश के केन्द्रीय प्राधिकरण से बच्चे की पालक देखरेख प्राप्त करने की अनुमति पाने हेतु एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(7) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को यह वक्तव्य देते हुए एक पालक देखरेख शपथ पत्र पर भी हस्ताक्षर करने होंगे कि वे वैध न्यायालय आदेश के बिना देश छोड़ कर नहीं जाएंगे।

34. **सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करना** – (1) कारा से एनओसी प्राप्त होने के 5 दिनों के अंदर आरआईपीए भारत के सक्षम न्यायालय से बच्चे के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए एक न्यायालय आदेश प्राप्त करने की कार्रवाई करेगा।

(2) आरआईपीए द्वारा कारा से "एनओसी" के बिना अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए सक्षम न्यायालय में आवेदन जमा नहीं किया जाएगा।

(3) अनाथ, बेसहारा और अभ्यर्पित बच्चों के अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत नहीं किए जा सकेंगे।

टिप्पणी :

क. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एल के पाण्डेय बनाम भारतीय संघ (लिखित याचिका संख्या 1171, 1982) के मामले में दिए गए निर्देशानुसार सक्षम न्यायालय को दायर होने की तिथि के अधिकतम दो माह के अंदर मामले का निपटान करने की आवश्यकता है।

ख. अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के प्रत्येक मामले पर एआरसी और कारा के माध्यम से बाल कल्याण समिति और राज्य सरकार द्वारा अधिकतम संभव सीमा तक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, बच्चे के सर्वोत्तम हित में मामले का निपटान पहली सुनवाई में किया जाएगा।

ग. आरआईपीए द्वारा कारा, एसएआरए या एसीए और एएफएए या सीए को न्यायालय के आदेश तथा दत्तक ग्रहण विलेख की एक प्रति अग्रेषित की जाएगी, जैसा भी मामला हो।

(4) न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर कारा द्वारा अनुसूची–**XIII** के अनुसार हेग अभिसमय के प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 23 के तहत एक अनुरूपता प्रमाणपत्र (सीसी) जारी किया जाएगा।

35. **पासपोर्ट और वीज़ा** – (1) किसी भी अनाथ, बेसहारा और अभ्यर्पित बच्चे को कारा के वैध एनओसी के बिना भारत छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसे दत्तक ग्रहण किया गया है।

(2) आरआईपीए द्वारा न्यायालय का आदेश प्राप्त होने के बाद दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे के पासपोर्ट हेतु आवेदन किया जाएगा और इस आवेदन में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के पैराग्राफ 83 (3) में उल्लिखित दस्तावेज शामिल होंगे।

(3) न्यायालय के आदेश में उल्लिखित बच्चे की जन्मतिथि को उसकी जन्मतिथि माना जाएगा।

(4) संबंधित प्राधिकारी पासपोर्ट और वीज़ा जारी करने में शीघ्रता पूर्वक कार्रवाई कर सकते हैं ताकि दत्तक ग्रहण किया गया बच्चा अपने दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिताके साथ उनके निवास के स्थान हेतु भारत छोड़ कर जा सके।

36. **दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिताके साथ बच्चे की यात्रा** – दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता या किसी एक को भारत आना होगा और अपने देश में बच्चे को साथ ले जाना होगा।

37. प्रगति **रिपोर्ट** – बच्चे को प्राप्त करने वाले देश के एएफएए या सीए या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, कारा और संबंधित आरआईपीए को नियोजन की प्रगति के बारे में अनुसूची–**XIV** में दिए गए प्रारूप के अनुसार बच्चे के उस देश में पहुंचने के बाद शुरूआती 1 वर्ष की अवधि तक तिमाही रूप से नियोजन पश्चात रिपोर्ट और दूसरे वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से जानकारी दी जाएगी और उक्त अनुवर्तन प्राप्त करने वाले देश में बच्चे की नागरिकता अर्जित कर लेने के बाद दो वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा।

38. **समय सीमा** : दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया में शामिल सभी एजेंसियां और प्राधिकरण **अनुसूची–VIII** में स्वदेशी दत्तक ग्रहण के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करेंगे।

39. **अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की विशेष श्रेणी** – उन देशों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण जहां कोई एएफएए या सीए नहीं है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी –

(i) उन देशों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण जहां आवेदनों को प्रायोजित करने के लिए कोई एएफएए या सीए नहीं है, कारा द्वारा संबंधित भारतीय मिशन की वैयक्तिक संस्तुति या किसी संगठन को गृह अध्ययन रिपोर्ट (एचएसआर)

और दत्तक ग्रहण डॉज़ियर तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है जिसे भारतीय दूतावास या उच्चायोग के माध्यम से कारा में अग्रेषित किया जाएगा।

(ii) संबंधित भारतीय मिशन के अधिकारी भी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के एचएसआर और दत्तक ग्रहण डॉज़ियर तैयार कर सकते हैं।

(iii) संबंधित भारतीय मिशन द्वारा संस्तुत संगठन या व्यक्ति को भी कारा में यह वचन देना होगा कि वे कानूनी दत्तक ग्रहण के बाद दो वर्ष की अवधि तक प्रगति रिपोर्ट भेजेंगे और इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित कार्रवाई भी करेंगे, यदि दत्तक ग्रहण में कोई बाधा आती है या दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे को स्वदेश वापस भेजना होता है।

40. **भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों द्वारा दत्तक ग्रहण** – (1) एक ऐसे देश के विदेशी नागरिक के मामले में जो ऐसे देश के नागरिक हैं, जिसने हेग अभिसमय को अभिपुष्ट किया है और वे भारत में एक वर्ष या अधिक समय से रहते हैं, दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता द्वारा उनकी राष्ट्रीयता के देश के दूतावास या मिशन से प्रस्तावित दत्तक ग्रहण पर अनापत्ति प्रमाणपत्र सहित कारा से संपर्क किया जाएगा।

(2) अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर कारा इस मामले को दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के डॉज़ियर तैयार करने और गृह अध्ययन हेतु आरआईपीए के पास भेजेगा।

(3) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन आरआईपीए द्वारा किया जाएगा।

(4) उप पैरा ग्राफ (1) में संदर्भित प्रकरणों में उस देश के दूतावास या भारत में मिशन, दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता जहां के नागरिक हैं, वे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्याय IV में निर्धारित पश्चात दत्तक ग्रहण अनुवर्तन के लिए एक वचन देंगे।

(5) यदि दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता निर्धारित पश्चात दत्तक ग्रहण अनुवर्तन अवधि के दौरान भारत में निवास जारी रखते हैं तो संबंधित आरआईपीए उक्त अनुवर्तन का वचन देगा और संबंधित दूतावास या मिशन और कारा को इसकी रिपोर्ट देगा।

(6) संबंधित दूतावास या मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दत्तक ग्रहण बच्चा अपने माता – पिताके देश की नागरिकता तत्काल ही दत्तक ग्रहण डिक्री के बाद ग्रहण कर लेता है और नागरिकता के आदेश की एक प्रति कारा और संबंधित आरआईपीए को अग्रेषित की जाती है।

41. **भारत में रहने वाले ओसीआई द्वारा दत्तक ग्रहण** – (1) ओसीआई जो एक ऐसे देश के नागरिक हैं जिसने हेग अभिसमय की अभिपुष्टि की है और वे भारत वापस आ गए हैं और

एक वर्ष से अधिक समय से भारत में निवास कर रहे हैं, उन्हें इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया अपनाते हुए एक बच्चे के दत्तक ग्रहण की पात्रता होगी।

(2) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता अपनी राष्ट्रीयता के देश के दूतावास या मिशन से प्रस्तावित दत्तक ग्रहण के अनापत्ति प्रमाण सहित कारा से संपर्क करेंगे।

(3) अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर कारा यह प्रकरण गृह अध्ययन और दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता का डॉज़ियर तैयार करने के लिए आरआईपीए को भेजेंगे।

(4) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के लिए इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के तहत निर्धारित प्रक्रिया को आरआईपीए द्वारा अपनाया जाएगा।

(5) इन मामलों में भारत में ओसीआई की नागरिकता के देश के दूतावास या मिशन द्वारा दत्तक ग्रहण पश्चात अनुवर्तन के लिए एक वचन दिया जाएगा जैस इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अध्याय IV में निर्धारित किया गया है।

(6) यदि ओसीआई निर्धारित दत्तक ग्रहण पश्चात अनुवर्तन अवधि के दौरान भारत में निवास जारी रखता है तो संबंधित आरआईपीए उक्त अनुवर्तन करेगा और दूतावास या मिशन और कारा को इसकी रिपोर्ट देगा।

42. **देश में वापस आए भारतीय नागरिकों द्वारा दत्तक ग्रहण** – भारत में वापस आए हुए भारतीय नागरिकों द्वारा, जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है, वे भारत वापस आ गए हैं और भारत में निवास की अवधि एक वर्ष से अधिक हो गई है, तो उन्हें एक स्वदेशी दत्तक ग्रहण के रूप में प्रक्रियान्वयन किया जाएगा।

43. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण** – विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण में शामिल सभी प्राधिकरण और एजेंसियां अपने प्रकरणों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करेंगी ताकि ये बच्चे जल्दी से जल्दी अपने परिवार से जुड़ सकें।

44. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की श्रेणी** – (1) दत्तक ग्रहण के प्रयोजन के लिए "विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों" को निम्नानुसार श्रेणीकृत किया जा सकता है –

(क) दिखाई देने वाली और / या गंभीर चिकित्सा परिस्थितियों – मानसिक या शारीरिक वाले बच्चे ;

(ख) बड़े बच्चे ;

(ग) भाई बहन और

(घ) अत्यंत कम वजनी जन्मे बच्चे (जिसे एक सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए)।

(2) निम्नलिखित बीमारियों या विकलांगताओं को भी बच्चों में दिखाई देने योग्य या गंभीर चिकित्सा परिस्थिति माना जाए।

(i) स्पाइना बाइफिडा ;
(ii) इक्थियोसिस (कोलोडियन बच्चा)
(iii) अंग अनुपस्थित ;
(iv) पैर–हाथ की अंगुलियां अनुपस्थित ;
(v) गंभीर मधुमेह ;
(vi) कटा हुआ होंठ–कटा हुआ तालू या कटी हुई जीभ ;
(vii) दृष्टि हीन या आंशिक दृष्टिहीन ;
(viii) दौरे पड़ने का गंभीर विकास ;
(ix) गंभीर दमा ;
(x) हृदय की गंभीर प्रकार की स्थिति ;
(xi) हिपेटाइटिस बी
(xii) रक्त संबंधी विकार
(xiii) तीव्र रिकेट्स ;
(xiv) गंभीर अस्थि संबंधी विकार ;
(xv) बधिर या आंशिक रूप से बधिर ;
(xvi) पोलियो ;
(xvii) विकृति कारक गंभीर जन्म चिन्ह ;
(xviii) अनिर्धारित लिंग ;
(xix) हेयर लिप ;
(xx) कोलोस्टोमी ;
(xxi) बौनापन ;
(xxii) हीमोफिलिया ;
(xxiii) लकवा ;
(xxiv) मस्तिष्क में घाव ;
(xxv) जल जाना ;
(xxvi) थैलीसेमिया मेजर ;
(xxvii) फीटल एल्कोहल सिंड्रोम ;
(xxviii) एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया (पसीने की ग्रंथि नहीं होना) ;
(xxix) माइक्रोसिफेली ;
(xxx) मिर्गी (इसमें बुखार से पड़ने वाले दौरे शामिल नहीं हैं) ;
(xxxi) पियर रॉबिन सिंड्रोम (जीभ नहीं) ;
(xxxii) तंत्रिका संबंधी विकास ;
(xxxiii) वाणी अकार्यात्मकता – डिस्फेसिया ;
(xxxiv) गंभीर एक्जिमा ;
(xxxv) मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता वाले बच्चे ;

(xxxvi) अन्य किसी विकलांगता वाले बच्चे, जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 में परिभाषित है (1996 का 1)

टिप्पणी : उप पैरा (2) में दी गई सूची केवल दृष्टांत के लिए है और यह सूची समाप्त नहीं होती।

(3) एक रोग या विकृति से पीड़ित एक बच्चा जिसे गंभीर दीर्घ अवधि अवशेषी प्रभाव नहीं है और जिन्हें सुधारा जा सकता है, उन्हें "विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे" की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

(4) लगभग 5 वर्ष की आयु वाले बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे माना जाएगा क्योंकि दत्तक ग्रहण में इन बच्चों का नियोजन कठिन होता है।

(5) अलग – अलग आयु के भाई बहन, जहां तक संभव हो, एक ही परिवार में दत्तक ग्रहण हेतु भेजे जाएं और इन बच्चों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में रखा जाएगा।

(6) यदि एक बच्चा गंभीर रूप से विलंबित पड़ाव दर्शाता है, जिसे सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए तो इस बच्चे को "विशेष आवश्यकता वाले बच्चे" की श्रेणी में रखा जाएगा।

(7) एक बच्चा जो सामान्य वज़न प्राप्त करने में आंशिक रूप से पीछे चलता है उसे विशेष आवश्यकता वाला बच्चा नहीं माना जाएगा।

45. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए तैयार करना** – (1) यह विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी की भूमिका है कि वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए तैयार करें।

(2) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मामले में देखरेख देने वाले में बदलाव, परिवेश, जीवन की गुणवत्ता और इसी प्रकार के अन्य कारकों के साथ उनके निपटने की क्षमता अन्य बच्चों के समान नहीं होती है।

टिप्पणी : विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे कई मामलों में बड़े बच्चे होते हैं और वे अपने विचार और मनोवृत्ति तय कर सकते हैं, जिससे वे लचीले नहीं रह जाते हैं और उन्हें समायोजन की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

(3) यह अनिवार्य है कि विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी इन बच्चों को दत्तक ग्रहण के लिए तैयार करने हेतु विशेष प्रयास करें।

(4) बड़े बच्चों को दत्तक ग्रहण करने वाले परिवार की तस्वीरें दिखाई जानी चाहिए और उन्हें सावधानीपूर्वक मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करने का परामर्श दिया जाना चाहिए।

(5) बच्चे को अंतरिम अवधि में शैक्षिक संस्थान भेजा जाना चाहिए और बच्चे में शौचालय तथा स्वच्छता की नियमित आदत विकसित की जानी चाहिए।

(6) रिश्ता बनाने की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वे बच्चे को अपने पारिवारिक एल्बम, तस्वीरें दिखाएं और बच्चे के नाम चिट्ठियां और छोटे उपहार भेजें।

(7) यदि बच्चा विदेश भेजा जा रहा है तो उसे जहां तक संभव हो दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता की भाषा सिखाई जानी चाहिए।

46. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता –** (1) जो दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें दत्तक ग्रहण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को ऐसे सभी दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की एक सूची बनानी चाहिए ताकि दत्तक ग्रहण में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के नियोजन की सुविधा प्रदान की जा सके।

(2) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की सूची बनाते समय निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाना चाहिए –

(i) बड़ी उम्र के और अनुभवी माता – पिता विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति अधिक वचनबद्ध अभिभावक सिद्ध होते हैं और इस प्रकार उन्हें अधिक कुशलता, धीरज, वित्तीय साधन और बच्चे पालने का अनुभव होता है।

(ii) जिन माता – पिता को अपने कार्य क्षेत्र के कारण या इसलिए अच्छा अनुभव है जिन्हें विशेष प्रकार की चिकित्सा परिस्थिति का कुछ ज्ञान है वे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बेहतर साबित होते हैं।

(iii) एचएसआर में इन्हें दर्शाया जाएगा –

(क) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता की प्रेरणा और क्षमता कि वे एक ऐसे बच्चे का दत्तक ग्रहण कर सकें ;

(ख) क्या दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के पास विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को संभालने के लिए वित्तीय संसाधन हैं ;

(iv) विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को केवल ऐसे दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के लिए स्वीकार्यता हेतु दिखाया जाए जो ऐसे बच्चों के दत्तक ग्रहण को अभिव्यक्ति द्वारा प्राथमिकता देते हैं या इसके इच्छुक हैं।

(3) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता के अभिविन्यास सत्रों का आयोजन किया जाएगा ताकि वे विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से संबंधित मुद्दों को समझ सकें और उन्हें एक सूचित निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

(4) दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता और विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसियों (अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में) द्वारा बच्चे की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट, चिकित्सा संबंधी विवरण और परामर्श रिपोर्ट मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन एजेंसी द्वारा किसी तथ्य को छुपाए बिना प्रदान की जाए।

(5) मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन एजेंसी (आरआईपीए) जिसे विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी भी कहते हैं, जो बच्चे के विकास के पड़ाव, अतिरिक्त चिकित्सा जांचों के बारे में सूचना प्रदान करें और यदि आवश्यकता हो तो इन बच्चों के बारे में संभावित चिंता पर माता – पिता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सके।

(6) बच्चे की अध्ययन रिपोर्ट में बच्चे की छवि सकारात्मक रूप में दर्शाई जाए और इसी के साथ चिकित्सा परिस्थिति की वास्तविक जानकारी दी जाए।

47. **विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण के लिए प्रक्रिया विधि** – (1) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण के इच्छुक दत्तक ग्रहण करने वाले संभावित माता – पिता को पैराग्राफ 27 से 38 में बताए गए मानकों के अनुसार प्रक्रिया का पालन करना होता है और उनके दत्तक ग्रहण के प्रकरणों पर केवल मान्यता प्राप्त भारतीय नियोजन एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(2) सभी संबंधित प्राधिकरण सुनिश्चित करेंगे कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के मामलों पर कार्रवाई के लिए तय की गई समय सीमा का कठोरतापूर्वक पालन किया जाए।

अध्याय – IV
दत्तक ग्रहण पश्चात प्रक्रिया

48. **दत्तक ग्रहण पश्चात अनुवर्तन** – (1) स्वदेशी दत्तक ग्रहण के मामले में प्रथम वर्ष में अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट और दूसरे वर्ष में यह रिपोर्ट विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी और इसे एसएआरए या एसीए के पास जमा किया जाएगा।

(2) प्रगति रिपोर्ट का प्रारूप **अनुसूची–XIV** के अनुसार होगा।

(3) विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्तियों और दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता के लिए दत्तक ग्रहण पश्चात परामर्श सेवाएं प्रदान करें।

(4) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में प्राप्त करने वाले देश के एएफएए या सीए या संबंधित सरकारी विभाग, जैसा भी मामला हो, प्राप्त करने वाले देश में बच्चे के आगमन के बाद कारा और संबंधित आरआईपीए को प्रथम वर्ष के दौरान तिमाही पश्चात नियोजन रिपोर्ट और द्वितीय वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से नियोजन की प्रगति के बारे में बता सकते हैं।

(5) प्राप्त करने वाले देश की नागरिकता अधिग्रहण करने के बाद दो वर्ष की अवधि तक अनुवर्तन उपाय जारी रहेंगे।

(6) संरक्षण के मामलों में संबंधित आरआईपीए द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष एएफपीए से प्राप्त दत्तक ग्रहण आदेश सहित प्रगति रिपोर्ट की प्रतियां जमा की जाएंगी, जिसने संरक्षण के आदेश जारी किए हैं।

(7) एएफएए द्वारा कारा की वेब आधारित प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कारा को दत्तक ग्रहण पश्चात आंकड़े भी प्रदान किए जाएंगे।

(8) एएफएए या सीए द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों और दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और इस आयोजन की एक रिपोर्ट कारा को भेजी जाएगी।

(9) एएफएए या सीए द्वारा दत्तक ग्रहण किए गए और दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता के लिए दत्तक ग्रहण पश्चात परामर्श आयोजित किया जाएगा।

49. **स्वदेशी दत्तक ग्रहण के मामले में बाधा और देश वापसी** – (1) दत्तक ग्रहण पूर्व पालक देखरेख के दौरान रुकावट के मामले में बच्चे को दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा वापस लाया जाएगा और एसएआरए के परामर्श से बच्चे के लिए एक उपयुक्त पुनर्वास योजना तैयार की जाएगी।

(2) न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद रुकावट के मामले में यह संबंधित दत्तक ग्रहण एजेंसी का दायित्व होगा कि वह सक्षम न्यायालय के आदेश सहित एसएआरए के परामर्श से बच्चे के पुनर्वास के लिए आदेश प्राप्त करें।

50. **अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण के मामले में बाधा और देश वापसी** – (1) ऐसे प्रकरणों में पुनर्वास के प्रयास, जिन्हें संरक्षण और प्रतिपालित अधिनियम, 1890 के तहत प्रसंसाधित किया गया है, जहां दत्तक ग्रहण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है, में इस पैराग्राफ का पालन किया जाएगा।

(2) जब तक बच्चा भारत का नागरिक बना रहता है और जहां बच्चे को कानूनी तौर पर भारत में न्यायालय के आदेश की तिथि के दो वर्ष के अंदर प्राप्त करने वाले राज्य में दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता द्वारा किसी कारण से दत्तक ग्रहण नहीं किया गया है जिसने दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता को संरक्षक नियुक्त किया है, या बच्चे के दत्तक ग्रहण करने से किसी समय पूर्व या दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता के देश की नागरिकता प्रदान करते समय या एएफएए को ज्ञात होता है कि बच्चा संरक्षकों के साथ समायोजन करने और बसने में अक्षम है या यह कि प्रस्तावित दत्तक ग्रहण असफल रहने की संभावना है या उसके स्वास्थ्य, कल्याण या हित को नुकसान पहुंच सकता है, तो जिस एएफएए ने प्राप्त करने वाले राज्य में बच्चे के दत्तक ग्रहण पर कार्रवाई की है, वह तत्काल संरक्षकों से बच्चे को वापस लाएगा और बच्चे को अपनी अभिरक्षा या देखरेख या बाल संरक्षण विभाग या प्राप्त करने वाले राज्य के प्राधिकारी की देखरेख में रखेगा।

(3) यदि एएफएए संरक्षकों या दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता से बच्चे को वापस लाता है तो यह तत्काल भारतीय राजदूतावास मिशन, कारा और संबंधित आरआईपीए को बच्चे की स्थिति और संरक्षकों या दत्तक ग्रहण करने वाले माता – पिता के कानूनी दायित्व के विषय में विस्तृत जानकारी सहित अधिसूचित करेगा।

(4) उप पैराग्राफ (3) में एएफएए द्वारा ऐसा होने पर इस प्रकार कार्य किया जाएगा :

(i) बच्चे को वैकल्पिक पारिवारिक देखरेख में रखा जाएगा ;

(ii) यह दत्तक ग्रहण किए गए बच्चे के संरक्षण से संरक्षकों को अभ्यर्पण या त्याग के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र या अपनी स्वीकृति नहीं देगा और न ही संरक्षकों द्वारा भारत के न्यायालय में आवेदन दिया जा सकेगा जिसने संरक्षण प्रदान किया है ;

(iii) यह भारत के उस न्यायालय के पुनः निर्देश हेतु संरक्षकों से बच्चे को वापस लाने की तिथि के चार माह के अंदर एक आवेदन देगा जिसने संरक्षकों द्वारा आवेदन जमा करने के बाद संरक्षण प्रदान किया है।

(5) उप पैराग्राफ (4) में उल्लिखित संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान एएफएए द्वारा प्रकरण के विकास पर संबंधित आरआईपीए और कारा को नियमित जानकारी दी जाएगी।

(6) कारा और आरआईपीए निरंतर इस पैराग्राफ के तहत प्रत्येक प्रकरण की निगरानी भारत के सक्षम न्यायालय द्वारा नए आदेश पारित होने तक करेंगे।